भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3007 का उत्तर

किसान रेल सर्किट

3007. श्री केसिनेनी शिवनाथ:
श्री बी. के. पार्थसारथी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा संभावित किसान रेल सर्किटों की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों के साथ किए गए परामर्शों की संख्या का ब्यौरा क्या है और आन्ध्र प्रदेश के संदर्भ में इसका विशिष्ट ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे परामर्शो के माध्यम से पहचान किए गए संभावित किसान रेल सर्किटों की संख्या और उनके मार्ग संरेखण और परिवहन के लिए प्रस्तावित वस्तुओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पहचाने गए सर्किटों के लिए कोई प्रचालनात्मक और वित्तीय व्यवहार्यता अध्ययन कराया है और यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसे व्यवहार्यता अध्ययन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रस्तावित किसान रेल सर्किट के लिए कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): भारतीय रेल द्वारा उत्पादन या अधिशेष क्षेत्रों से उपभोग या कमी वाले क्षेत्रों तक फलों और सब्जियों सहित नश्यवान वस्तुओं को ले जाने के लिए किसान रेल रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं। अगस्त 2020 में इसकी शुरुआत के बाद से, विभिन्न राज्यों से 167 मार्गों पर कुल 2,364 किसान रेल सेवाएं परिचालित की गई हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश से 116 बहिर्गामी सेवाएं शामिल हैं।

किसान रेल के संभावित सर्किटों की पहचान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकारों के कृषि/पशुपालन/मत्स्य विभागों के साथ-साथ स्थानीय निकायों और एजेंसियों, मंडियों आदि के परामर्श से की जाती है और प्रस्तुत मांगों एवं परिचालनिक व्यवहार्यता के आधार पर लागू दर सूची पर सेवाओं की योजना बनाई जाती है।

इसके अलावा, सभी रेल मंडलों में कार्यरत व्यवसाय विकास इकाइयां विभिन्न हितधारकों के साथ कार्य कर रही हैं ताकि नश्यवान वस्तुओं के परिवहन सहित व्यापार की आवश्यकता का आकलन किया जा सके, जो मौसमी और आवश्यकता आधारित भी हो सकती हैं। हाल ही में, रेल प्राधिकरणों द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार, कॉनकोर के अधिकारियों और अनंतपुरम के जिला प्रशासन के साथ ताडिपत्री से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) तक केले के परिवहन के लिए परामर्श किए गए थे।

मैसर्स राइट्स द्वारा जुलाई 2021 में किसान रेल पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसे सभी क्षेत्रीय रेलों और अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ साझा किया गया था।

****